



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219382
CG-DL-E-16052020-219382

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942

No. 224]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISKHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

सा.का.नि. 298.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) ये नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 6 के, उप नियम (3) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात :-

परंतु यह और कि ऐसे यान का उपयोक्ता जिसके यान पर "फास्टेग" नहीं लगा है या यान वैध और क्रियाशील "फास्टेग" के बिना फीस प्लाज़ा की "फास्टेग लेन" में प्रवेश करता है, तो उसे नियम 4 के उप नियम (2) के अनुसार यान की उस श्रेणी के लिए लागू फीस के दोगुने फीस के बराबर फीस का भुगतान करना होगा"

[फा. सं. एच-25016/01/2020-टोल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014, सा.का.नि. 2(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114 (अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017, सा.का.नि. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018, सा.का.नि. 427(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018 और सा.का.नि. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित किए गये थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2020

G.S.R. 298.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection), Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 6, in sub-rule (3) the second proviso the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided further that user of the vehicle not fitted with “FASTag” or vehicle without valid, functional “FASTag” entering into “FASTag lane” of the Fee plazas shall pay a fee equivalent to two times of the fee applicable to that category of vehicles as per sub-rule (2) of rule 4”.

[F. No. H-25016/01/2020-Toll]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note :The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 838(E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* number G.S.R. No. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756(E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. No. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. NO. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 2(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585(E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. No. 1114(E), dated 2nd December, 2016, G.S.R. No. 248 (E), dated 14th March, 2017, G.S.R. No. 427(E), dated the 7th May, 2018, G.S.R. No. 427(E), dated 25th September, 2018 and G.S.R. No. 942(E) dated 20th December, 2019.